ऑन लाईन नं. RCMS 2020/00032

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : भवानी सिंह पंवार आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 12/2020

1. करूणा कुमारी पत्नी नवीन कुमार जाति नाई, आयु करीब 30 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर 12, श्रीगंगानगर।

अपीलार्थिया

बनाम

1. बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवायें, श्रीगंगानगर।
2. श्रीमान उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रीगंगानगर।
3. सुनीता पत्नी इन्द्र तिवाडी, निवासी वार्ड नम्बर 12, श्रीगंगानगर।

रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित :

1. अमीत स्वामी अधिवक्ता अपीलार्थी
2. अनिल कुमार कामरा (सीडीपीओ) श्रीगंगानगर

आदेश दिनांक : 24.02.2021

अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत अपील मीमो के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी, श्रीगंगानगर शहर के वार्ड नं.12 बी, के कार्यकर्ता का एक पद भरने हेतु विज्ञप्ति क्रमांक 2357 दिनांक 27.08.2019 को जारी की गई थी, जिसमें प्रार्थीया ने कार्यकर्ता के पद हेतु आवेदन किया, जिसमें प्रार्थीया ने अपने शैक्षणिक दस्तावेज एम.ए., अन्य पिछडा वर्ग का प्रमाण पत्र जो दिनांक 14.12.2017 को उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा जारी शुदा, जन्म तिथी संबघी कक्षा 10 की अंकतालिका, एवंम आर.एस.सी.आई.टी.कम्प्यूटर कोर्स आदि तमाम दस्तावेज एवं निवास सम्बन्धी दस्तावेज मूल निवास, वोटर आईडी, राशनकार्ड, आधार कार्ड दस्तावेज पेश किये गये। तमाम दस्तावेजो से प्रार्थीया के कुल 6 अंक बनते है तथा अन्य सभी आवेदको को 5 से अधिक अंक नहीं है। चयन परिपत्र के अनुसार जिस महिला के अंक अधिक होते है, उसी महिला का चयन किया जाना अनिवार्य है, जिसकी अनुपालना नहीं की गई और अप्रार्थीया के चयन में भारी भूल की गई है और द्वितीय सूचि जारी करते हुये अप्रार्थीया संख्या 3 का चयन कर लिया गया है जो उचित नहीं है।

प्रार्थीया का अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र जो दिनांक 14.12.2017 को उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा जारी शुदा जो वर्ष 3 वर्ष तक मान्य है। प्रार्थीया की जाति नाई है, जो राजस्थान सरकार की जातियों की सूचि में अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में आती है। प्रार्थीया का परिवार आज दिनांक भी नॉन क्रिमीलेयर की श्रेणी में आता है, परन्तु प्रार्थीया के जाति प्रमाण पत्र को मान्यता न देते हुये प्रार्थीया का 1 अंक काट लिया और अप्रार्थीया सुनीता जिसके 5 अंक बनते है, उसका चयन कर लिया गया। प्रार्थीया को सुनवाई का अवसर दिये बिना चयन समिति ने द्वेष भाव से विधि विरूद्व नियम विरूद्व तथा राजनैतिक प्रभाव में आकर अप्रार्थीया का चयन कर लिया गया जो कतई गलत है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जावें।

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

ऑन लाईन नं. RCMS 2020/00032

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

रेस्पोडेन्ट बाल विकास परियोजना अधिकारी (शहर) श्रीगंगानगर ने अपना जबाब पत्र क्रमांक 2733 दिनांक 01.02.2021 से प्रस्तुत कर अंकित किया कि निदेशालय समेकित बाल विकास सेवायें जयपुर के आदेश क्रमांक प. 11(3)10/आईसीडीएस/2011/150819 दिनांक 09.11.2016 के बिन्दु 2 शहरी क्षेत्र में चयन के उप बिन्दु संख्या 2 की पालना में इस कार्यालय के द्वारा चयन की सम्पूर्ण प्रकिया शहरी चयन समिति द्वारा 2 माह की समयवधि में पूर्ण नहीं करने एवं आवेदन पत्रों को खारिज की स्थिति में विभाग के नियमानुसार चयन प्रकरण आपके कार्यालय को पत्र क्रमांकः-1335/30.01.2020 द्वारा भिजवाया गया था। प्रकरण में इस कार्यालय के वार्ड नम्बर 12(बी) के कार्यकर्ता का 1 पद भरने हेतु विज्ञप्ति क्रमांकः-2357 दिनांक 27.08.2019 को जारी की गई। आवेदन जमा करवाने की अन्तिम तिथि 16.09.2019 रखी गई थी। इस कार्यालय में उक्त अवधि तक कुल 8 आवेदन इस रिक्त पद हेतु प्राप्त हुये थे। उपनिदेशक कार्यालय में पत्रावली का अवलोकन किया गया। समस्त आवेदकों को मूल दस्तावेजो का अवलोकन तथा चयन हेतु उपनिदेशक कार्यालय में पत्रांक 4138-47 दिनांक 30.01.2020 के द्वारा दिनांक 04.02.2020 को उपनिदेशक कायालय में बुलाया गया। निदेशालय समेकित बाल विकास सेवायें राज0 जयपुर के पत्र क्रमांकः-एफ11(3)मा.कर्मिया संबंधी/आईसीडीएस/2018 /8599 दिनांक 31.01.2020 से प्राप्त निर्देशों की पालना में ओबीसी के दस्तावेजों की जांच कर पुनः वरीयता सूची जारी की गई। तत्कालीन उपनिदेशक, बाल विकास परियोजना अधिकारी, श्रीगंगानगर(शहर) तथा सम्बन्धित महिला पर्यवेक्षक द्वारा मूल दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। मूल दस्तावेजो के अवलोकन के पश्चात वार्ड नम्बर 12 की वरियता श्रेणी में 3 आवेदक श्रीमती सुनिता तिवारी, करूणा, तथा अंजु थे जिनके 5-5 अंक बराबर थे। विभागीय परिपत्र क्रमांक 150819/09.11.2016 के द्वारा 2 या 2 से अधिक आवेदकों के अंक बराबर आने पर अधिक आयु/वर्ष वाली महिला को चयन में वरियता देने का प्रावधान है। उक्त प्रकरण में श्रीमती सुनीता तिवारी पत्नी इन्द्र तिवारी सबसे अधिक आयु की महिला होने के नियमानुसार स्थानीयता तथा वरियता के अनुसार प्रथम प्रथम स्थान पर थी। सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन एवं निदेशालय समेकित बाल विकास सेवायें जयपुर के आदेश क्रमांक प.11(3) 10/आईसीडीएस/2011/150819 दिनांक 09.11.2016 के बिन्दु संख्या 2 शहरी क्षेत्र में चयन के उप बिन्दु संख्या 2 की पालना में श्रीमती सुनीता तिवारी पत्नी श्री इन्द्र तिवारी वरियता में प्रथम स्थान रखने के कारण कार्यकर्ता के पद हेतु उपनिदेशक कार्यालय के पत्रांक-4564/04.03.2020 के द्वारा अभिशंषा कर दी गई थी। उक्त आदेशों की पालना में इस कार्यालय के द्वारा चयन आदेश क्रमांक 1529 दिनांक 11.03.2020 जारी कर दिये गये। विभागीय परिपत्र क्रमांक प.11(3) 10/आईसीडीएस/2011/150819 दिनांक 09.11.2016 के अनुसार अपील करने कि निर्धारित समयावधि समाप्त हो चुकी है।

उक्त चयनित कार्यकर्ता का पूर्व में कोविड-19 के कारण प्रशिक्षण नहीं हो सका। वर्तमान में निदेशालय के परिपत्र क्रमांक एफ.7(42)आ.का.प्रशिक्षण/आईसीडीएस/प्रशिक्षण/2020-21 जयपुर दिनांक 28.12.2020 की अनुपालना में उक्त नवचयनित कार्यकर्ता को 15 दिवसीय प्रशिक्षण हेतु नजदीकी अन्य केन्द्र से कार्यालय के आदेश क्रमांक-2595 दिनांक 01.01.2021 के द्वारा संबद्व किया गया था

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

। नवचयनित कार्यकर्ता के द्वारा दिनांक 21.01.2021 को उक्त 15 दिवसीय प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया गया है, कार्य आदेश जारी किये जाना शेष है।

अपीलार्थी ने बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि बाल विकास परियोजना अधिकारी, श्रीगंगानगर शहर के वार्ड नं.12 बी, के कार्यकर्ता का एक पद भरने हेतु विज्ञप्ति क्रमांक 2357 दिनांक 27.08.2019 को जारी की गई थी, जिसमें प्रार्थीया ने कार्यकर्ता के पद हेतु आवेदन किया, जिसमें प्रार्थीया ने अपने शैक्षणिक दस्तावेज एम.ए., अन्य पिछडा वर्ग का प्रमाण पत्र जो दिनांक 14.12.2017 को उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा जारी शुदा, जन्म तिथी संबघी कक्षा 10 की अंकतालिका, एवंम आर.एस.सी.आई.टी.कम्प्यूटर कोर्स आदि तमाम दस्तावेज एवं निवास सम्बन्धी दस्तावेज मूल निवास, वोटर आईडी, राशनकार्ड, आधार कार्ड दस्तावेज पेश किये गये। तमाम दस्तावेजो से प्रार्थीया के कुल 6 अंक बनते है तथा अन्य सभी आवेदको को 5 से अधिक अंक नहीं है। चयन परिपत्र के अनुसार जिस महिला के अंक अधिक होते है, उसी महिला का चयन किया जाना अनिवार्य है, जिसकी अनुपालना नहीं की गई और अप्रार्थीया के चयन में भारी भूल की गई है।

प्रार्थीया का अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र जो दिनांक 14.12.2017 को उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा जारी शुदा जो वर्ष 3 वर्ष तक मान्य है। " **जिसके सम्बन्ध विभागीय परिपत्र जो प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक एवं न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर के परिपत्र क्रमांक एफ.11/एससी,एसटी, ओबीसी, एसबीसी/जा.प्र.प/सान्याआदि/12/पार्ट–345955 जयपुर दिनांक 03.03.2019 जिसमें जाति प्रमाण पत्र क्रिमीलियर एक बार जारी होने पर शपथ पत्र दिया जाकर तीन वर्ष तक अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र मान्य माना गया है**"। प्रार्थीया की जाति नाई है, जो राजस्थान सरकार की जातियों की सूचि में अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में आती है। प्रार्थीया का परिवार आज दिनांक भी नॉन क्रिमीलेयर की श्रेणी में आता है, परन्तु प्रार्थीया के जाति प्रमाण पत्र को मान्यता न देते हुये प्रार्थीया का 1 अंक काट लिया और अप्रार्थीया सुनीता जिसके 5 अंक बनते है, उसका चयन कर लिया गया। प्रार्थीया को सुनवाई का अवसर दिये बिना चयन समिति ने द्वेष भाव से विधि विरूद्व नियम विरूद्व तथा राजनैतिक प्रभाव में आकर अप्रार्थीया का चयन कर लिया गया जो कतई गलत है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अप्रार्थीया का चयन रद्व किया जावें।

रेस्पोडेन्ट बाल विकास परियोजना अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपनी बहस में जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कहा है कि निदेशालय समेकित बाल विकास सेवायें जयपुर के आदेश क्रमांक प.11(3)10/ आईसीडीएस/2011/150819 दिनांक 09.11.2016 के बिन्दु 2 शहरी क्षेत्र में चयन के उप बिन्दु संख्या 2 की पालना में इस कार्यालय के द्वारा चयन की सम्पूर्ण प्रकिया शहरी चयन समिति द्वारा 2 माह की समयवधि में पूर्ण नहीं करने एवं आवेदन पत्रों को खारिज की स्थिति में विभाग के नियमानुसार चयन प्रकरण आपके कार्यालय को पत्र क्रमांकः–1335/30.01.2020 द्वारा भिजवाया गया था। प्रकरण में इस कार्यालय के वार्ड नम्बर 12(बी) के कार्यकर्ता का 1 पद भरने हेतु विज्ञप्ति क्रमांकः–2357 दिनांक 27.08.2019 को जारी की गई। आवेदन जमा करवाने की अन्तिम तिथि 16.09.2019 रखी गई थी। इस कार्यालय में उक्त अवधि तक कुल 8 आवेदन इस रिक्त पद हेतु प्राप्त हुये थे। उपनिदेशक कार्यालय में पत्रावलीयों का अवलोकन किया गया। समस्त आवेदकों को

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

ऑन लाईन नं. RCMS 2020/00032

मूल दस्तावेजो का अवलोकन तथा चयन हेतु उपनिदेशक कार्यालय में पत्रांक 4138–47 दिनांक 30.01.2020 के द्वारा दिनांक 04.02.2020 को उपनिदेशक कार्यालय में बुलाया गया। निदेशालय समेकित बाल विकास सेवायें राज0 जयपुर के पत्र क्रमांकः–एफ11(3)मा.कर्मिया संबंधी/आईसीडीएस /2018 /8599 दिनांक 31.01.2020 से प्राप्त निर्देशों की पालना में ओबीसी के दस्तावेजों की जांच कर पुनः वरीयता सूची जारी की गई। तत्कालीन उपनिदेशक, बाल विकास परियोजना अधिकारी, श्रीगंगानगर (शहर) तथा सम्बन्धित महिला पर्यवेक्षक द्वारा मूल दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। मूल दस्तावेजो के अवलोकन के पश्चात वार्ड नम्बर 12 की वरियता श्रेणी में 3 आवेदक श्रीमती सुनिता तिवारी, करूणा, तथा अंजु थे जिनके 5–5 अंक बराबर थे। विभागीय परिपत्र क्रमांक 150819/09.11.2016 के द्वारा 2 या 2 से अधिक आवेदकों के अंक बराबर आने पर अधिक आयु /वर्ष वाली महिला को चयन में वरियता देने का प्रावधान है। उक्त प्रकरण में श्रीमती सुनीता तिवारी पत्नी इन्द्र तिवारी सबसे अधिक आयु की महिला होने के नियमानुसार स्थानीयता तथा वरियता के अनुसार प्रथम प्रथम स्थान पर थी। सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन एवं निदेशालय समेकित बाल विकास सेवायें जयपुर के आदेश क्रमांक प.11(3) 10/आईसीडीएस/2011/150819 दिनांक 09.11.2016 के बिन्दु संख्या 2 शहरी क्षेत्र में चयन के उप बिन्दु संख्या 2 की पालना में श्रीमती सुनीता तिवारी पत्नी श्री इन्द्र तिवारी वरियता में प्रथम स्थान रखने के कारण कार्यकर्ता के पद हेतु उपनिदेशक कार्यालय के पत्रांक–4564/04.03.2020 के द्वारा अभिशंषा कर दी गई थी। उक्त आदेशों की पालना में इस कार्यालय के द्वारा चयन आदेश क्रमांक 1529 दिनांक 11.03.2020 जारी कर दिये गये। विभागीय परिपत्र क्रमांक प.11(3) 10/आईसीडीएस/2011/150819 दिनांक 09.11.2016 के अनुसार अपील करने कि निर्धारित समयावधि समाप्त हो चुकी है।

उक्त चयनित कार्यकर्ता का पूर्व में कोविड–19 के कारण प्रशिक्षण नहीं हो सका। वर्तमान में निदेशालय के परिपत्र क्रमांक एफ.7(42)आ.का.प्रशिक्षण/आईसीडीएस/प्रशिक्षण/2020–21 जयपुर दिनांक 28.12.2020 की अनुपालना में उक्त नवचयनित कार्यकर्ता को 15 दिवसीय प्रशिक्षण हेतु नजदीकी अन्य केन्द्र से कार्यालय के आदेश क्रमांक–2595 दिनांक 01.01.2021 के द्वारा संबद्व किया गया था। नवचयनित कार्यकर्ता के द्वारा दिनांक 21.01.2021 को उक्त 15 दिवसीय प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया गया है, कार्य आदेश जारी किये जाना शेष है। निदेशालय समेकित बाल विकास सेवायें राज0 जयपुर के पत्र क्रमांकः–एफ11(3)मा.कर्मिया संबंधी /आईसीडीएस /2018 /8599 दिनांक 31.01.2020 से प्राप्त निर्देशों की पालना में ओबीसी के दस्तावेजों की जांच कर पुनः वरीयता सूची जारी की गई।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया गया तो पाया कि प्रकरण में इस कार्यालय के वार्ड नम्बर 12(बी) के कार्यकर्ता का 1 पद भरने हेतु विज्ञप्ति क्रमांकः–2357 दिनांक 27.08.2019 को जारी की गई। आवेदन जमा करवाने की अन्तिम तिथि 16.09.2019 रखी गई थी।मूल दस्तावेजो के अवलोकन के पश्चात वार्ड नम्बर 12 की वरियता श्रेणी में 3 आवेदक श्रीमती सुनिता तिवारी, करूणा, तथा अंजु थे जिनके 5–5 अंक बराबर थे। विभागीय परिपत्र क्रमांक 150819 / 09.11.2016 के द्वारा 2 या 2 से

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अधिक आवेदकों के अंक बराबर आने पर अधिक आयु /वर्ष वाली महिला को चयन में वरियता देने का प्रावधान है। उक्त प्रकरण में श्रीमती सुनीता तिवारी पत्नी इन्द्र तिवारी सबसे अधिक आयु की महिला होने के नियमानुसार स्थानीयता तथा वरियता के अनुसार प्रथम प्रथम स्थान पर थी। निदेशालय समेकित बाल विकास सेवायें जयपुर के आदेश क्रमांक प.11(3) 10/आईसीडीएस/2011/150819 दिनांक 09.11.2016 के बिन्दु संख्या 2 शहरी क्षेत्र में चयन के उप बिन्दु संख्या 2 की पालना में श्रीमती सुनीता तिवारी पत्नी श्री इन्द्र तिवारी वरियता में प्रथम स्थान रखने के कारण कार्यकर्ता के पद हेतु उपनिदेशक कार्यालय के पत्रांक–4564/04.03.2020 के द्वारा अभिशंषा कर दी गई थी। उक्त आदेशों की पालना में इस कार्यालय के द्वारा चयन आदेश क्रमांक 1529 दिनांक 11.03.2020 जारी कर किये गये। अधिवक्ता अपीलार्थी का यह कथन कि उसका ओबीसी का प्रमाण पत्र एक वर्ष पुराना था जिसमें निदेशालय समेकित बाल विकास सेवायें राज0 जयपुर के पत्र क्रमांकः–एफ11(3)मा. कर्मिया संबंधी/आईसीडीएस /2018 /8599 दिनांक 31.01.2020 के निर्देशानुसार जांच में पाया गया कि अपीलार्थीया द्वारा अपने आवेदन पत्र में ओ.बी.सी. क्रिमीलियर में नहीं होने पर एक वर्ष पश्चात का प्रमाण पत्र पेश करने पर शपथ पत्र दिया जाना था जो उसके अपीलार्थीया द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं किया। निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव समेकित बाल विकास सेवाऐं राज0 जयपुर के पत्रांक प.11(3)10 /मो./आईसीडीएस/2011/1450820 दिनांक 09.11.2016 में स्पष्ट आदेश जारी किये गये है कि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात उसमें संशोधन अथवा अनुलग्नक सलंग्न किये जाने की अनुमति नहीं होगी। अपीलार्थीया को ओ.बी.सी. प्रमाण पत्र एक वर्ष पुराना होने के कारण शपथ पत्र प्रस्तुत करना था जो उसके द्वारा नहीं किया गया जिस कारण उसको ओ.बी.सी. का 1 अंक नहीं दिया गया। फलस्वरूप निगरानीकर्ता की निगरानी अस्वीकार की जाती है। आदेश की प्रति उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास परियोजना विभाग, श्री गंगानगर एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी (शहर) श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 24.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

(भवानी सिंह पंवार)
अति0 जिला कलक्टर
(प्रशासन), श्रीगंगानगर।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर